<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्र.29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/16123 दिनांक : 11-3-11

परिपत्र

जैसा कि आप सभी को विदित है मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के मरीजों को आउटडोर व इन्डोर दोनों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। समय–समय पर योजना के अन्तर्गत समाज की अन्य कमजोर श्रेणीयों को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के मरीजों/परिवारों के सदस्यों को आउटडोर व इन्डोर दोनों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है –

क्र.सं.	श्रेणी	प्रभावी दिनांक
1	बीपीएल परिवार	01.01.2009
2	स्टेट बीपीएल परिवार	14.07.2009
3	आस्था कार्डधारी परिवार	03.12.2009
4	एचआईवी/एड्स मरीज	09.12.2009
5	वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी	01.04.2010
6	नवजीवन योजना (जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियों के लाभार्थी परिवार)	19.04.2010
7	अन्त्योदय अन्न योजना (बारां जिले के सहरिया परिवार)	26.04.2010
8	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	26.04.2010
9	कथौड़ी जनजाति के परिवार	21.10.2010
10	मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका, जोधपुर के परिवार	21.02.2011

आप द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के प्रचार–प्रसार हेतु जो भी बोर्ड, होर्डिग, वॉल पेन्टिंग आदि तैयार करवाये गये हैं उनके संबंध में लेख है कि शायद आप द्वारा उनमें इन सभी लाभान्वित श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया गया होगा।

अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों (उप स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक) पर प्रचार–प्रसार के समस्त माध्यमों में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत लाभान्वित उक्त सभी श्रेणियों का उल्लेख आवश्यक रूप से करवाना सुनिश्चित करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को की गयी कार्यवाही के विवरण सहित 15 दिवस में सूचित करें।

इस हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय की गई राशि पूर्व में स्वीकृत अनटाईड फंड से तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप खंड/सैटेलाईट चिकित्सयालयों/जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों) पर व्यय की गई राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा वहन की जायेगी।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त।
6. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करवाने का श्रम करावें।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन